


University of Rajasthan, Jaipur
Application Form For Session 2023-24
Three/Four Year Bachelor of Computer Application
University Maharaja College

Form No.
105763



Personal Information

1.(i) Applicant's Name :	MANISH KUMAR MEENA		
(ii) Student NetID :	UG23714378		
2.(i) Mother's Name :	SHANTI DEVI		
(ii) Father's Name :	RAMESH CHAND MEENA		
3. Date of Birth :	4. Gender :	5. Age as on 01-07-2023 :	<div>Affix Photograph</div>
2006-07-04	Male	16 Years	
6. Caste Category :	7. Other Spl Cat :	8. Weightage. Cat. :	
ST	NA	NA	
9. Locality :	10. Annual Income :		
Rural	Less than 1 Lac		
11. Mobile No.:	12. Nationality :	13. Email ID :	
7891875310	Indian	Manishghunawat7171@gmail.com	
14. Permanent Address :	15. Mailing Address :		
Vpo ghumana	Mansinghpura tonk phatak		
Dausa	Jaipur		
16. Religion :	Hindu		

17. Educational Qualification :

S.No.	Name of Exam.	Board/University	Stream	Year	Max. Mark	Marks Obt	%
1.	Secondary	Rajasthan Board		2021	600	516	86.00
2.	Sr. Secondary	Rajasthan Board	Science	2023	500	284	56.80

UG23714378

18. Bank Account Information

Account Number	61322016749	IFS Code	SBIN0031050
Account Holder Name	MANISH MEENA	MICR Code	303002010
Bank Name	SBI	Branch Name	GEEJGARH

19. Fee Detail

Amount	Transaction No.	Transaction Date	Transaction Mode
Rs. 150/-	230621152281930	Jun,21,2023 08:55:37 AM	UPI_ICICI

Place:

Signature of the Applicant

Date:

Board of Secondary Education Rajasthan
Result: Senior Secondary Examination, 2023
Detailed Mark Sheet

Roll No.	School
2594011	(1120378) RAJA RAMDEV PODDAR GOVT SR SEC SCH,GANDHI NAGAR,JAIPUR

Examinee Name : MANISH KUMAR MEENA

Father's Name : RAMESH CHAND MEENA

Mother's Name : SHANTI DEVI

Subject	Marks Obtained						
	TH1	TH2	SS1	SS2	TH+SS	PR	TOTAL
HINDI(COMP)	061		020		081		081
ENGLISH(COMP)	028		020		048		048
PHYSICS	023		014		037	027	064
CHEMISTRY	011		014		025	028	053
MATHEMATICS	018		020		038		038

Total marks obtain: 284

Percentage: 56.80%

Result: Second Division

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सिकराय
जिला-दौसा



*** जाति प्रमाण-पत्र ***

क्रमांक : RJ11/2016/Misc (Tehsil Office)/Digital Caste (SC/ST)/14997
दिनांक 25-07-2016

आवेदक का आधार नम्बर : AN

आवेदक/परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या : AN

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनीष मीना पुत्र रमेश चन्द मीना गांव/नगर घूमना जिला/डिवीजन दौसा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में मीना (9) जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा तथा संशोधित संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा तथा संशोधित संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (समावेशण) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी मनीष मीना गांव/नगर घूमना जिला/डिवीजन दौसा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।

नोट

1. यहाँ प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. एफ 21(37) एस जे ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजों की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजों जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.gov.in पर स्थित On-line Verification Section से ऑन-लाईन सत्यापित किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी, सिकराय

Signature valid

Digitally signed by
YOGI RATAN LAL
Date: 2016.07.25
02:41:59 IST
Reason: SCM
Location: Rajasthan



161114110083467

15183973